रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239341 CG-DL-E-06102022-239341

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255] No. 255] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आई पी एच डब्ल्यू विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

विषय: भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेंसर फैब / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) / आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना।

सं. डब्ल्यू-38/21/2022-आईपीएचडब्ल्यू.— 1. पृष्ठभूमि

- 1.1. इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है। सेमीकंडक्टर पिछले 50 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिकी की उन्नति में एक प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं और आईओटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5जी, स्मार्टकारों, स्मार्ट कारखानों, डेटा केंद्रों, रोबोटिक्स आदि सहित नए अनुप्रयोगों की शुरूआत के साथ और भी बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे।
- 1.2. सेमीकंडक्टर निर्माण एक जटिल और अनुसंधान-गहन क्षेत्र है, जिसे प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव द्वारा परिभाषित किया गया है जिसके लिए महत्वपूर्ण और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में, एकीकृत सर्किट (आईसी) और डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर उपकरणों का उत्पादन वेफर

6683 GI/2022 (1)

- फैब्रिकेशन सुविधा में किया जाता है, जिसे आमतौर पर फैब के रूप में जाना जाता है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के केंद्र में हैं और सामग्री के बिल (बीओएम) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- 1.3. इलेक्ट्रॉनिकी राष्ट्रीय नीति 2019 (एनपीई 2019) का दृष्टिकोण भारत को इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना और उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। सेमीकंडक्टर फैब सुविधाओं की स्थापना और चिप्स और चिप घटकों के डिजाइन और निर्माण के लिए इसके इको-सिस्टम को सुविधाजनक बनाना, एनपीई 2019 की मुख्य रणनीतियों में से एक है।
- 2. **उद्देश्य:** इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और इन फैब्रिकेशन और पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग क्षेत्रों में एक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला स्थापित करने में मदद करने के लिए देश में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स (SiPh) / सेंसर (एमईएमएस सिहत) फैब्स / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स और सेमीकंडक्टर एटीएमपी / ओएसएटी स्विधाओं की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करना।
- 3. पात्रता और भारत सरकार से वित्तीय सहायता
- 3.1. कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सहित) / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब

| विवरण | उच्च आवृत्ति / उच्च शक्ति / ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों के विनिर्माण के लिए भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सहित)/ डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का प्रस्ताव देने वाली कंपनियां / संयुक्त उद्यम | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| | वेफर आकार | क्षमता |
| प्रौद्योगिकी | 150 / 200 मिमी या अधिक | 500 या अधिक वेफर स्टार्ट / माह |
| | | (100 मिमी समकक्ष में) |
| परिचालनरत अनुभव | आवेदक कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों के पास निम्नलिखित अनुभव होना चाहिए: | |
| | क. एक वाणिज्यिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सहित) / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब का स्वामित्व और संचालन। | |
| | या | |
| | ख. प्रस्तावित फैब के लिए स्वामित्व या अधिकार प्राप्त लाइसेंस प्रक्रिया सम्बंधी प्रौद्योगिकियां। | |
| पूंजी निवेश सीमा | कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सहित) / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब के लिए ₹100 करोड़ (₹1 बिलियन) का न्यूनतम पूंजी निवेश | |
| भारत सरकार से राजकोषीय सहायता | पूंजीगत व्यय का 50% | |

3.2. सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी) / आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा

| (111 211 291) 31 1911 | |
|-----------------------|---|
| विवरण | भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) / आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव देने वाली कंपनियां / संयुक्त उद्यम |
| परिचालनरत | आवेदक कंपनी / संयुक्त उद्यम के पास निम्नलिखित अनुभव होना चाहिए: |

| अनुभव | क. एक वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का स्वामित्व और संचालन | |
|-------------------------------------|--|--|
| | या | |
| | ख. प्रस्तावित सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई के लिए लाइसेंस प्राप्त प्रौद्योगिकियों का स्वामित्व या अधिकार रखना और लाइसेंसिंग या विकास के माध्यम से उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों के लिए रोडमैप प्रदर्शित करना | |
| पूंजी निवेश सीमा | ₹50 करोड़ का न्यूनतम पूंजी निवेश (₹500 मिलियन) | |
| भारत सरकार से राजकोषीय सहायता | पूंजीगत व्यय का 50% | |

4. वित्तीय सहायता

- 4.1. राजकोषीय सहायता : यह योजना भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/ सेंसर (एमईएमएस सहित) / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी / ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय का 50% राजकोषीय सहायता प्रदान करेगी।
- 4.2. राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी या स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता, यिद कोई हो, का भी लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि, इस योजना के तहत एक आवेदक को सेमीकंडक्टर फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स फैब और एटीएमपी श्रेणी के तहत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के तहत इंसेटिव का लाभ नहीं मिलेगा।

5. मांग एकत्रीकरण समर्थन

भारत में स्थापित कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेंसर फैब / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और एटीएमपी / ओएसएटी इकाइयों को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) आदेश 2017 के तहत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद में खरीद वरीयता के माध्यम से समर्थित किया जाएगा।

6. अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए सहायता योजना के परिव्यय का 2.5% तक भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/ डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और एटीएमपी इकोसिस्टम के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

7. पूंजीगतव्यय

योजना के उद्देश्य के लिए "पूंजीगत व्यय" में भवन निर्माण, क्लीनरूम, संयंत्र,मशीनरी, उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं (प्रयुक्त / पुराने / नवीनीकृत सहित) प्रौद्योगिकी की लागत सहित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (टीओटी); और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पर किए गए व्यय शामिल होंगे। पूंजीगत व्यय की पात्रता के बारे में विवरण योजना दिशानिर्देशों में उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना का कार्यकाल

यह योजना 31.12.2024 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली रहेगी। सभी आवेदक जिन्होंने 21 दिसंबर, 2021 की राजपत्र अधिसूचना (पहले की योजना) के अनुसरण में आवेदन किया था, उन्हें इस अधिसूचना में निहित नई योजना के अनुसार संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

9. शासन तंत्र

- 9.1. नोडल एजेंसी : यह योजना एक नोडल एजेंसी (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।
- 9.2. इस तरह की नोडल एजेंसी आवेदनों की प्राप्ति, योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के वित्तीय और तकनीकी मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगी; योजना को लागू करेगी और समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना

- प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा द्वारा सौंपे गए अन्य उत्तरदायित्वों को पूरा करेगी। नोडल एजेंसी के कार्यों और जिम्मेदारियों को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किए जाने वाले योजना दिशानिर्देशों में विस्तृत किया जाएगा।
- 9.3. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए, नोडल एजेंसी अन्य बातों के साथ-साथ इन बातो पर ध्यान देगी :
 - 9.3.1. आवेदन प्राप्त करना, पावती जारी करना, और योजना के तहत समर्थन के लिए आवेदकों की पात्रता सत्यापित करना।जब तक नोडल एजेंसी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाती, तब तक इलेक्टॉनिक्स और सचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आगे की प्रक्रिया को अंजाम देगा।
 - 9.3.2. परियोजनाओं के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के साथ-साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएस सिहत) डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के इन विशिष्ट क्षेत्रों में आवेदकों की विशेषज्ञता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाली एजेंसी / एजेंसियों या सलाहकारों को नियुक्ति करना।
 - 9.3.3. योजना के तहत राजकोषीय सहायता और इंसेटिव के वितरण हेतु पात्र दावों की जांच करना और पात्रता के अनुसार उन्हें वितरित करना।
 - 9.3.4. योजना की प्रगति और निष्पादन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट जमा करना।
 - 9.4. नोडल एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उन प्रस्तावों को प्रस्तुत करेगी जिनका वित्तीय और तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया गया है और जो योग्य पाए गए है ताकि आवेदनों के अनुमोदन / अस्वीकृति / संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सके।

10. अनुमोदन

- 10.1. योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन निरंतर आधार पर किया जाएगा और योजना के तहत दी गई मंजूरी के अनुसार कार्यान्वयन जारी रहेगा।
- 10.2. चयनित आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाएगी और नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को सूचित किया जाएगा।
- 10.3. किसी भी चयनित आवेदक को ₹100 करोड़ तक प्रोत्साहन की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव होंगे। ₹100 करोड़ से अधिक प्रोत्साहन की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे।

11. संवितरण प्रक्रिया

- 11.1. योजना/दिशानिर्देशों/अनुमोदन पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों और पूंजीगत व्यय के लिए प्रारंभिक मूल्य को पूरा करने के अधीन, आवेदन के अनुमोदन के बाद, पूंजीगत व्यय के विरुद्ध50%का वित्तीय समर्थन परी-पासु आधार पर जारी किया जाएगा।
- 11.2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को पूंजीगत सहायता के वितरण के लिए बजटीय प्रावधान करेगा। अनुमोदन शर्तों के आधार पर नोडल एजेंसी द्वारा संवितरण किया जाएगा। नोडल एजेंसी नियमित आधार पर समेकित राशि के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बजटीय आवश्यकता प्रस्तुत करेगी।
- 11.3. आवेदकों हेत् संवितरण की विस्तृत प्रक्रिया योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

12. प्रभाव आकलन

योजना का मध्याविध मूल्यांकन इसके कार्यान्वयन के दो साल बाद या योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए आवश्यकता के अनुसार, स्वीकृत आवेदकों द्वारा योजना तथा अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुसार किया जाएगा। इस तरह के प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर, योजना के कार्यकाल को बढ़ाने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इसके वित्तीय परिव्यय को बदलने का निर्णय लिया जाएगा।

13. योजना के दिशानिर्देश

योजना के दिशा-निर्देश इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से अलग से जारी किए जाएंगे।

14. योजना और दिशानिर्देशों में संशोधन: योजना और उसके दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन समय-समय पर या आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा।

अमितेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

Subject: Modified scheme for setting up of Compound Semiconductors / Silicon Photonics / Sensors Fab/ Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/ Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) facilities in India

F. W-38/21/2022-IPHW.—1. Background

- 1.1. The electronics industry is the world's largest and fastest growing industry with applications in all sectors of the economy. Semiconductors have been a key enabler in the advancement of electronics for the past 50 years and will continue to play an even greater role with the introduction of new applications including IoT, artificial intelligence, 5G, smart cars, smart factories, data centres, robotics, etc.
- 1.2. Semiconductor manufacturing is a complex and research-intensive sector, defined by rapid changes in technology which require significant and sustained investment. In the micro-electronics industry, integrated circuits (ICs) and discrete semiconductor devices are produced in a wafer Fabrication facility, commonly known as a Fab. Semiconductors are at the heart of electronic products and constitute a significant part of the Bill of Materials (BOM).
- 1.3. The vision of National Policy on Electronics 2019 (NPE 2019) is to position India as a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) and create an enabling environment for the industry to compete globally. One of the main strategies of NPE 2019 is to facilitate setting up of semiconductor Fab facilities and its eco-system for design and fabrication of chips and chip components.
- 2. **Objective:**To attract investments for setting up Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) Fabs/ Discrete Semiconductors Fabs and Semiconductor ATMP / OSAT facilities in the country to strengthen the electronics manufacturing ecosystem and help establish a trusted electronics value chain in the areas of application of these fabrication and packaging technologies.

3. Eligibility and Financial Incentives from Government of India

3.1. Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) Fab / Discrete Semiconductors Fab

| | Companies / Joint Ventures proposing | to set up Compound Semiconductors / Silicon |
|---------------------------|--|---|
| Description | Photonics (SiPh) / Sensors (including l | MEMS)/ Discrete Semiconductors Fab in India |
| | for manufacturing High Frequency / High Power / Optoelectronics devices | |
| | Wafer Size | Capacity |
| Technology | 150 / 200 mm or more | 500 or more Wafer Starts / Month |
| | | (in 100 mm equivalent) |
| | The applicant Companies / Joint Ventures should have the following experience: | |
| | A. Own and operate a commercial Com | pound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) |
| Operational | / Sensors (including MEMS) Fab | / Discrete Semiconductors Fab or Silicon |
| Experience | Semiconductor Fab | |
| | OR | |
| | B. Own or possess licensed process technologies for the proposed Fab | |
| Capital Investment | Minimum Capital Investment of ₹100 crore (₹1 billion) for Compound Semiconductors | |
| Threshold | / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS)/ Discrete Semiconductors Fab | |

| Fiscal support from | |
|---------------------|-----------------------------|
| Government of | 50 % of Capital Expenditure |
| India | |

3.2. Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) / Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility

| Description | Companies / Joint Ventures proposing to set up Semiconductor Assembly, Testing, Marking, and Packaging (ATMP) / Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility in India | |
|--|---|--|
| Operational Experience | The applicant Companies / Joint Ventures should have the following experience: A. Own and operate a commercial Semiconductor Packaging Unit OR B. Own or possess licensed technologies for the proposed semiconductor packaging unit and demonstrate the roadmap to advanced packaging technologies through licensing or development | |
| Capital Investment Threshold | Minimum Capital Investment of ₹50 crore (₹500 million) | |
| Fiscal support from Government of India | 50 % of Capital Expenditure | |

4. Financial Support

- 4.1. Fiscal support: The scheme shall extend a fiscal support of 50% of the Capital Expenditure for setting up of Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) Fab/ Discrete Semiconductor Fab and Semiconductor ATMP / OSAT facilities in India.
- 4.2. Additional financial support, if any, offered by the State Government or any of its agencies or local bodies may also be availed. However, an applicant under this Scheme will not avail incentive under the Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS) under the Semiconductor Fab, Compound Semiconductors Fab and ATMP category.

5. Demand Aggregation Support

Compound Semiconductors / Silicon Photonics / Sensors Fabs / Discrete Semiconductors Fab and ATMP / OSAT units set up in India will be supported through purchase preference in procurement of electronic products by the Government under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017.

6. Support for R&D, Skill Development and Training

Up to 2.5% of the outlay of the scheme shall be earmarked for meeting the R&D, skill development and training requirements for the development of Compound Semiconductors / Silicon Photonics / Sensors Fab / Discrete Semiconductors Fab and ATMP ecosystem in India.

7. Capital Expenditure

"Capital Expenditure" for the purpose of the scheme shall include expenditure incurred on building, clean rooms, plant, machinery, equipment & associated utilities (including used / second hand / refurbished); transfer of technology (ToT) including cost of technology; and research & development (R&D). Details regarding the eligibility of capital expenditure shall be provided in the scheme guidelines.

8. Tenure of the Scheme

The scheme will be open for receiving applications till 31.12.2024. All applicants who had applied in pursuance of the Gazette Notification dated 21st December, 2021 (earlier scheme) shall be allowed to submit modifications as per the new scheme contained in this Notification.

9. Governance Mechanism

- 9.1. Nodal Agency: The scheme will be implemented through a Nodal Agency (India Semiconductor Mission).
- 9.2. Such nodal agency will be responsible for receipt of applications, carrying out financial and technical appraisal of the applications received under the scheme; implementing the scheme and carrying out other responsibilities as assigned by Ministry of Electronics and Information Technology from time to time. The functions and responsibilities of nodal agency will be elaborated in the Scheme Guidelines to be issued by Ministry of Electronics and Information Technology separately.
- 9.3. For carrying out activities related to implementation of the Scheme, nodal agency will inter-alia:

- 9.3.1. Receive the applications, issue acknowledgements, and verify eligibility of the applicants for support under the Scheme. Till such time that the Nodal Agency is fully established, Ministry of Electronics and Information Technology will carry out the further process.
- 9.3.2. Empanel agency(ies) or consultants as deemed necessary to carry out technical and financial appraisal of the projects as well as evaluate expertise of the applicants in these niche areas of Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) / Discrete Semiconductors Fab and semiconductor packaging.
- 9.3.3. Examine claims eligible for disbursement of fiscal support and incentive under the scheme and disburse those as per eligibility.
- 9.3.4. Submit periodic reports to Ministry of Electronics and Information Technology regarding the progress and performance of the scheme.
- 9.4. Nodal Agency will submit the proposals that have been financially and technically appraised and found eligible to the Ministry of Electronics and Information Technology for taking further action by the competent authority for approval / rejection / modification of the applications.

10. Approval

- 10.1 The applications received under the scheme shall be appraised on an ongoing basis and implementation will continue as per the approvals accorded under the scheme.
- 10.2 Approval to the selected applicants will be accorded by the Competent Authority in Ministry of Electronics and Information Technology and communicated by the Nodal Agency to the applicant.
- 10.3 The Competent Authority for approving incentives for any selected applicant upto ₹100 crore will be Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology. Approval of incentives above ₹100 crore for a selected applicant will be done by Minister of Electronics and Information Technology.

11. Disbursement Process

- 11.1 The fiscal support of 50% against the capital expenditure will be released on pari-passu basis after the approval of the application, subject to terms and conditions stipulated in the Scheme / Guidelines / Approval Letter and meeting the threshold value for capital expenditure.
- 11.2 Ministry of Electronics and Information Technology shall make budgetary provisions for disbursal of fiscal support to approved projects under the scheme. The disbursement shall be done by the Nodal Agency based on approval conditions. Nodal Agency will submit budgetary requirement to Ministry of Electronics and Information Technology as consolidated amount on regular basis.
- 11.3 The detailed procedure for disbursal to applicants will be laid down in the Scheme Guidelines.

12. Impact Assessment

Mid-term appraisal of the scheme will be done after two years of its implementation or as per requirement to assess the impact of the scheme, off-take by the applicants and economy in terms of the stated objectives. Based on such impact assessment, decision will be taken to increase the tenure of the scheme and change its financial outlay with the approval of the Minister of Electronics and Information Technology.

13. Scheme Guidelines

The scheme guidelines will be issued by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) separately with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

14. Amendment of Scheme and Guidelines: The scheme and its guidelines shall be reviewed and amended periodically or as per requirement with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

AMITESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.